

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला अनूपगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- अजीत कुमार गोदारा आर.ए.एस.

प्र.सं. :- 112/2021

जीसीएमएस :- 2023/261

लखवीरसिंह पुत्र बचनसिंह जाति कम्बोजसिख उम्र 54 वर्ष निवासी गली नं.9, 3 ई-छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. अमरजीतसिंह पुत्र बचनसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी गली नं.9, 3 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. जसवीरकौर पत्नी मलकीतसिंह पुत्री बचनसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़
3. कुलविन्द्रकौर पत्नी जसविन्द्रसिंह पुत्री बचनसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी बसन्ती चौक श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. गुरमीतकौर पत्नी बचनसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी गली नं.9, 3 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. उप पंजीयक अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

- :: निर्णय :: -

दिनांक :- 08.08.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के पिता बचनसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी गली नं.9, 3 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की मृत्यु दिनांक 13.10.2021 को हो चुकी है तथा प्रार्थी पिता मृतक बचनसिंह का वटवक्ष निम्न प्रकार से है कि कृषि भूमि वाके चक 28 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 1 पत्थर सं.319/404 का किला नं. 10/1 का 0.114, 11 का 0.253, 12 /2 का 0.202, 13/2 का 0.038, 17/1 का 0.114, 18/2 का 0.240, 19ता24 प्रत्येक 0.253, 25/2 का 0.190 हैक्टर कुल 2. 669 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि संयुक्तरूप से प्रार्थी के पिता बचनसिंह पुत्र भगवानसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के पिता बचनसिंह का 1/5 हिस्सा दर्ज है। जमाबन्दी की प्रति सलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र में दर्ज उक्त कृषि भूमि को विवादित कृषि भूमि कहा जाएगा। यह कि इसी प्रकार चक 21 एम डी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 50 पत्थर सं. 23/02 का किला नम्बर 5/1 का 0.228 कमाण्ड, 5/2 का 0.025 खाला, 6, 15, 16 प्रत्येक 0.253 कमाण्ड, 25 का 0.190 कमाण्ड कुल 1.202 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के पिता बचनसिंह पुत्र भगवानसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जमाबन्दी की प्रति सलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र में दर्ज उक्त कृषि भूमि को विवादित कृषि भूमि कहा जाएगा। प्रार्थी के दादा भगवानसिंह के देहान्त उपरांत उसके कुल पाच वारिसो जरनैलसिंह, बेअन्तसिंह, सोहनसिंह, जोगेन्द्रसिंह व बचनसिंह (प्रार्थी के पिता) को बहिस्सा बराबर विरास्तन अधिकार के तहत 1/5 हिस्सा के रूप में प्राप्त होकर प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज हुई थी तथा प्रार्थना पत्र की मद सं.4 में दर्ज कृषि भूमि प्रार्थी परिवार के संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति वाके चक 21 पी एस तहसील रायसिंहनगर की सम्पति को बैचान कर उससे प्राप्त प्रतिफल राशि से प्रार्थी के पिता ने अपने नाम से खरीद की थी प्रार्थी के पिता मृतक बचनसिंह के प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 4 प्रथम श्रेणी के विधिक एवं जायज वारिसान है जिसका सजरा खानदान वटवक्ष में अंकित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 4 संयुक्तअविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा उक्त प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 व 4 में दर्ज विवादित कृषि भूमि संयुक्तहिन्दू खानदान की अविभाजित एवं पारिवारिक सम्पति है जो कि पैतृक एवं सहदायिक सम्पति है। जिसमें प्रार्थी का शुरु से ही हित निहित है, फलस्वरूप प्रार्थी विवादित कृषि भूमि का सहदायी व अशंदायी है। विवादित कृषि भूमि वर्तमान में भी प्रार्थी के पिता

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

बचनसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रार्थी के पिता बचनसिंह ने अपने जीवन काल में अपनी दोनो पुत्रीयों अप्रार्थी सं. 2 व 3 की शादीयां उनको उनके हिस्सा के रूप में अच्छा दान दहेज देकर कर दी थी तथा प्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में ही विवादित कृषि भूमि की पारिवारिक व्यवस्था के करते हुए मौखिक पारिवारिक समझौता के तहत अपने नाम की समस्त विवादित कृषि भूमि दो हिस्सों में विभक्त करके अपने दोनों पुत्रों प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 को बांटकर दे दी थी तथा उपरोक्तानुसार विवादित कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के संयुक्त अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है चूकिं प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 अपने उक्त संयुक्त अधिकार एवं अधिपत्य की कृषि भूमि को अपने निर्देशन में हिस्सा ठेका पर काश्त करवाते है तथा उक्त विवादित कृषि भूमि की आमदन से प्रार्थी अपना जीवन निर्वाह करते रहे हैं । प्रार्थी के पिता ने चूकिं अप्रार्थी सं. 2 व 3 की शादीयां उनको उनके हिस्सा के रूप में अच्छा दान दहेज देकर कर दी थी तथा प्रार्थी की माता के भरण पोषण की जिम्मेवारी प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.1 पर रखी गई थी जिस अनुरूप प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 अपनी माता अप्रार्थी सं. 4 का भरण पोषण सुचारु रूप से कर रहे है इसके अलावा यहां यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि प्रार्थी के पिता द्वारा चक 18 एम डी में 5 बीघा जमीन जरिऐ ईकरारनामा खरीद कर रखी है जिसका विवाद चल रहा है लेकिन उक्त कृषि भूमि को हिस्सा ठेका पर देकर काश्त करवा रहे है जिसकी समस्त आमदन अप्रार्थी सं. 4 को ही प्राप्त होती है इस प्रकार अप्रार्थी सं. 4 के पास आमदन के पर्याप्त साधन है । पिता के देहान्त के उपरांत प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 ता 4 को कई बार कहा कि पिता बचनसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में जो पारिवारिक मौखिक समझौता के तहत विवादित कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.1 को 1/2 हिस्सा के रूप में बांटकर दी गई थी इसलिए उक्त पारिवारिक मौखिक समझौता की पालना मे विवादित कृषि भूमि का प्रार्थी के नाम का 1/2 हिस्सा के रूप में अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवें तो अप्रार्थी सं. 1 ता 4 शीघ्र ही ऐसा करवाने का आश्वासन देकर टालमटोल करते रहे । प्रार्थी को अब यह ज्ञात हुआ है कि अप्रार्थी सं. 2 व 3 प्रार्थी को उनके हक अधिकारों से वंचित करने के दूभावनापूर्वक आशय से विवादित कृषि भूमि का मृतक बचनसिंह के समस्त वारिसों के नाम से विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाकर विवादित भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू हैं ओर उक्त कृषि भूमि को अन्यत्र हस्तान्तरित रहन बैचान करने के प्रयासरत है जिसका पता चलने पर प्रार्थी ने अर्सा 3 दिन पूर्व अप्रार्थी सं. 1 ता 4 को उक्त पारिवारिक मौखिक समझौता की पालना में प्रार्थी के नाम उक्त विवादित कृषि भूमि के 1/2 हिस्सा का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का कहा तो अप्रार्थीगण ऐसा करने से साफ इंकार हो गये और अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने स्पष्ट कहा कि वह विवादित कृषि भूमि मे से प्रार्थी को कोई हिस्सा नही देंगे और न ही वे किसी पारिवारिक समझौता को मानते है बल्कि वे शीघ्र ही विवादित भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाकर अपने अपने हिस्सा की भूमि को अन्यत्र रहन, बेचान कर खुर्द बुर्द कर देंगे तथा अप्रार्थी सं. 1 व 4 ने भी प्रार्थी का कोई सहयोग करने से इंकार कर दिया । प्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में ही विवादित कृषि भूमि की पारिवारिक व्यवस्था के करते हुए मौखिक पारिवारिक समझौता के तहत अपने नाम की समस्त विवादित कृषि भूमि दो हिस्सो में विभक्त करके अपने दोनों पुत्रों प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 12 को 1/2 हिस्सा के रूप में बांटकर दे दी थी तथा उपरोक्तानुसार विवादित कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के संयुक्त अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है। प्रार्थना पत्र में दर्ज विवादित कृषि भूमि पारिवारिक मौखिक समझौता के प्रकाश में उक्त विवादित भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के संयुक्त अधिकार व अधिपत्य में चली आ रही है लेकिन अप्रार्थीगण विवादित भूमि में प्रार्थी को उसके हक अधिकारों से वंचित करने के प्रयासरत है तथा समस्त भूमि को शीघ्र ही अन्यत्र रहन, हस्तान्तरण बेचान कर खुर्द बुर्द करने पर उतारू है यदि अप्रार्थीगण अपने अनुचित मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षति पुर्ति मुद्रा की एवज मे नही हो सकेगी। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन पुर्णतया प्रार्थी के पक्ष में बनता है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी सं. 1 ता 4 प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 व 4 में दर्ज विवादित भूमि वाके चक 28 ए पी डी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं. 1 पत्थर सं. 319/404 का किला नं. 10/1 का 0.114, 11 का 0.253, 12 /2 का 0.202, 13/2 का 0.038, 17/1 का 0.114, 18/2 का 0.240, 19 ता 24 प्रत्येक 0.253, 25/2 का 0.190 हैक्टर कुल 2.669 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी के 1/5 हिस्सा व वाके चक 21 एम डी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं. 50 पत्थर सं. 23/02 का किला नम्बर 5/1 का 0.228 कमाण्ड, 5/2 का 0.025 खाला, 6, 15, 16 प्रत्येक 0.253 कमाण्ड, 25 का 0.190 कमाण्ड कुल 1.202 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि के किसी भी भू भाग को बिना प्रार्थी के अधिकारों की घोषणा करवाये किसी भी तरीके से

अन्यत्र हस्तान्तरित करने से निषिद्ध रहे तथा प्रार्थी के कब्जा काशत में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा करने व करवाने से व्यादेशित रहे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों में महज उक्त अनवान का वाद पेश होने के तथ्य स्वीकार है। मद के शेष तथ्य गलत ब्यानी स्वीकार नहीं है। वाद के कामयाब होने की कतई संभावना नहीं है। क्योंकि वाद विधि विरुद्ध तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है जिनका कोई विधिक अस्तित्व नहीं है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य जिस प्रकार से किये गये हैं, स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र में अंकित कृषि भूमि बचन सिंह को अपने पिता भगवान सिंह से विरास्तन 1/5 वां हिस्सा प्राप्त स्वीकार है लेकिन यह भूमि प्रथम पीढ़ी में अभी होने के कारण पैत्रिक की में नहीं आती है क्योंकि पैत्रिक भूमि चतुर्थ पीढ़ी में होती है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि कथित रूप से संयुक्त परिवार की कथित पैत्रिक सम्पति वाके चक 21 पी.एस., तहसील रायसिंहनगर की सम्पति को बेचान कर कथित प्रतिफल से बचन सिंह के द्वारा खरीद करने के तथ्य स्वीकार नहीं है ना ही इस संदर्भ में बेचान की गयी भूमि का विवरण, बेचान की दिनांक ही वर्णित की है एवं ना ही मद संख्या 4 में वर्णित भूमि कब खरीद की गयी, इसका कोई विवरण ही अंकित किया गया है जिसके अभाव में विस्तृत जवाब दिया जाना असंभव है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 विधिक वारिसान होना एवं वटवृक्ष स्वीकार है। यह कि मद संख्या 6 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत ब्यानी होने के कारण स्वीकार नहीं है। प्रार्थी को अर्सा पूर्व अपने जीवनकाल में ही पिता बचन सिंह ने उसके गलत व्यवहार के कारण उसका कथित हिस्सा मकान स्वरूप देकर परिवार से अलग कर दिया था जिसका परिणाम यह भी रहा कि अपने पिता के देहान्त पर प्रार्थी नहीं आया, न तो संस्कार में शरीक हुआ एवं ना ही अन्तिम रस्मो रिवाज में उपस्थित हुआ वरन् सम्पति के लालच में हस्तगत वाद झूठा प्रस्तुत कर दिया। न तो प्रार्थी संयुक्त परिवार का सदस्य था एवं ना ही प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 वा 4 में वर्णित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की कथित अविभाजित एवं पारिवारिक सम्पति है एवं ना ही पैत्रिक एवं सहदायिक सम्पति है। जहां तक प्रार्थी का शुरु से हित निहित होने के तथ्य अंकित किये है तो यह प्रार्थी की विधि की अज्ञानता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी होने के उपरान्त पुत्रों एवं पुत्रियों का प्रत्येक का बराबर का हक व हिस्सा है इसलिये बचन सिंह के समस्त वारिसान बतौर विधिक उत्तराधिकारी प्रत्येक 1/5 वां हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रार्थी भी बचन सिंह का वारिस होने के नाते महज 1/5 वां हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी मात्र है। मद संख्या 7 प्रार्थना पत्र में अंकित कथन जिस प्रकार से अभिकथित किये गये हैं, स्वीकार नहीं है। वर्णित कृषि भूमि बचन सिंह के नाम से अंकित होना स्वीकार है एवं पुत्रियों का विवाह भी बचन सिंह के द्वारा करना स्वीकार है जो कि प्रत्येक पिता का कर्तव्य होता है लेकिन उक्त विवाहों में न तो सान जीत प्रार्थी शरीक हुआ एवं ना ही प्रार्थी ने बतौर भाई अपने कर्तव्य का निर्वहन ही। यह तथ्य गलत, असंगत एवं असत्य होने के कारण अस्वीकार है कि पिता ने अपने जीवनकाल में कथित रूप से विवादित कृषि भूमि की कथित पारिवारिक व्यवस्था करते हुए मौखिक पारिवारिक समझौता के तहत अपने नाम की कृषि भूमि दो हिस्सों में विभक्त कर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 को बांटकर दे दी हो। यह तथ्य भी असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि वर्णित कृषि भूमि कथित रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के साथ संयुक्त अधिकार एवं आधिपत्य में चली आ रही हो वरन् वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काशत में पिता बचन सिंह के जीवनकाल से है क्योंकि प्रार्थी को पिता बचन सिंह ने अपने जीवनकाल में ही उसके बुरे व्यसनो एवं गलत व्यवहार के कारण परिवार से उसका हिस्सा मकान स्वरूप देकर अलग कर दिया था। यह तथ्य भी असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 कथित संयुक्त अधिकार एवं कथित आधिपत्य की कृषि भूमि को अपने निर्देशन में हिस्सा ठेका पर काशत करवाता है वरन् भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के आधिपत्य में है। यह कि मद संख्या 8 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत ब्यानी होने के कारण स्वीकार नहीं है। पुत्रियों की शादी करना प्रत्येक माता पिता का नैतिक एवं सामाजिक दायित्व है जिसका तात्पर्य कदापि यह नहीं है कि पिता के देहान्त उपरान्त पुत्रियों का पिता की सम्पति में से हक व हिस्सा समाप्त हो जाता है जब तक कि निर्विवाद रूप से पुत्रियां पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से अपने हिस्सा का परित्याग ना कर दे। यह तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि माता के भरण पोषण का दायित्व कथित रूप से प्रार्थी पर रखा गया हो वरन् पिता के जीवनकाल में ही प्रार्थी को अलग करने के उपरान्त से आज दिनांक तक प्रार्थी ने कभी अपनी माता से बात तक नहीं की, उनका सुख दुख भी नहीं पूछा एवं ना ही उनकी कभी सार संभाल की है। यह तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि चक 18 एम.डी. की कथित 5 बीघा भूमि की आमदनी अप्रार्थी संख्या 4 को प्राप्त हो रही हो। यहां यह भी अंकित करना आवश्यक है कि यदि

अप्रार्थी संख्या 4 को ऐसी कोई आमदनी प्राप्त हो भी रही हो तो भी उससे अप्रार्थी संख्या 4 का अपने पति की सम्पति में बतौर वारिस हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विधिक अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है एवं अप्रार्थी संख्या 4 बतौर वारिस 1/5 वां हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। मद संख्या 9 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत ब्यानी होने के कारण स्वीकार नहीं है। यह तथ्य असत्य, असंगत एवं कपोल कल्पित अंकित किये गये होने के कारण अस्वीकार है कि पिता के देहान्त उपरान्त प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को कथित रूप से कई बार कहा हो कि पिता बचन सिंह के द्वारा अपने जीवनकाल में जो कथित पारिवारिक मौखिक समझौता के तहत पर जीत प्रार्थी को कथित 1/2 हिस्सा बांटकर दिया है उसका अंकन प्रार्थी न सिंह राजस्व रिकॉर्ड में करवा देवे। यहां यह अंकित करना आवश्यक होगा कि पिता बचन सिंह ने अपने जीवन काल में ही प्रार्थी को परिवार से अलग कर दिया। वीर कौर पिता के देहान्त एवं अन्तिम रस्मों क्रियाओं पर प्रार्थी अपने परिवार सहित शरीक नहीं हुआ। पिता का देहान्त दिनांक 13.10.2021 को होना स्वयं प्रार्थी स्वीकार मरनजीत करता है एवं वाद दायरी की दिनांक देखें तो ज्ञान होगा कि प्रार्थी के द्वारा कैसे लालचवश होकर वेग तथ्यों पर पिता की मृत्यु से कुछ समय उपरान्त ही वाद प्रस्तुत कर दिया जबकि प्रार्थी का बतौर वारिस महज 1/5वां हिस्सा विरास्तन बनता है जिसे प्रदान करने में अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। न तो पिता के द्वारा अपने जीवनकाल में कभी कोई कथित पारिवाकर समझौतानामा किया एवं ना ही कभी प्रार्थी को कथित 1/2 हिस्सा भूमि देने का प्रश्न उत्पन्न हुआ एवं ना ही प्रार्थी ऐसे किसी भी हिस्सा का विधिक अधिकारी है। यह कि मद संख्या 10 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत ब्यानी स्वीकार नहीं है। बचन सिंह के देहान्त उपरान्त, चूंकि बचन सिंह कृषि भूमि के सन्दर्भ में निर्वसीयत फौत हुए, ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके समस्त विधिक उत्तराधिकारी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर बराबर प्रत्येक 1/5 वें हिस्से के मालिक, खातेदार एवं काश्तकार हुए तथा विरास्तन इंतकाल स्वीकृत करवाने के अधिकारी हुए। विरास्तन इंतकाल स्वीकृत करवाने के उपरान्त प्रत्येक सहकाश्तकार अपने अपने हिस्से का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का विधिक अधिकारी है एवं विरास्तन इंतकाल स्वीकृत होने से पूर्व न तो भूमि का अन्तरण हो सकता है एवं ना ही ऐसी कोई स्थिति है। यह तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि कथित रूप से वाद दायरी से तीन दिवस पूर्व प्रार्थी ने कथित 1/2 हिस्सा को अपने नाम से दर्ज करवाने का कहा हो एवं अप्रार्थीगण के द्वारा कथित रूप से इन्कार कर दिया हो। चूंकि प्रार्थी स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करता है कि अप्रार्थीगण के द्वारा विरास्तन इंतकाल करवाकर भूमि बेचान करने का कथन बकौल प्रार्थी किया है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी का 1/5वां हिस्सा सुरक्षित है जिसे ही प्राप्त करने का प्रार्थी विधिक अधिकारी है। प्रार्थी किसी भी प्रावधान के तहत वर्णित तथ्यों पर 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विरास्तन इंतकाल करवाने की प्रार्थी की इस स्वीकारोक्ति के उपरान्त जाहिर है कि प्रार्थी को कोई वाद हेतूक हस्तगत वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हासिल नहीं है। मद संख्या 11 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य बवजह गलत ब्यानी होने के कारण स्वीकार नहीं है। यह तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि पिता बचन सिंह ने अपने जीवनकाल में कथित रूप से वर्णित कृषि भूमि की पारिवारिक व्यवस्था कर कथित मौखिक पारिवारिक समझौता, जिसका न तो अस्तित्व है एवं ना ही विधिक रूप से ऐसे तथ्यों का कोई अस्तित्व जीत है एवं ना ही ऐसे तथ्यों के आधार पर अधिकारों की घोषणा का वाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है, के तहत अपने नाम की कृषि भूमि में से कथित 1/2 हिस्सा प्रार्थी को बांटकर दिया हो एवं कथित आधा हिस्सा प्रार्थी के आधिपत्य में चला आ रहा हो एवं यह तथ्य भी असत्य होने के कारण अस्वीकार है कि 1/2 हिस्सा के अधिकार प्रार्थी में निहित हो गये हो। यहां यह तथ्य अंकित करना आवश्यक होगा कि वाद एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित ऐसे तथ्य जिनका न तो वाकेआती आधार है एवं ना ही विधिक आधार है, के आधार पर अधिकारों की घोषणा का वाद नाकाबिल चलने के है। हिन्दू पुरुष के देहान्त उपरान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभावी होता है जिसके तहत मृतक की पत्नी, माता, पुत्र एवं पुत्रियों में सम्पति का न्यासगत होता है। बचन सिंह के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पांच वारिसान प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 है जिनमें उक्त भूमि न्यासगत हो चुकी है एवं विरास्तन इंतकाल के तहत प्रत्येक वारिस 1/5वां हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी के द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत तथ्य अंकित कर वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो जाहिरा तौर से विधि से बाधित है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों से हिट होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत विधि से बाधित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। जहां वाद गुणावगुण पर संधारण योग्य ना हो वहां अस्थायी निषेधाज्ञा की प्राप्ति हेतू प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि मद संख्या 12 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत ब्यानी होने के कारण स्वीकार नहीं है। यह तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण

अस्वीकार है कि वर्णित कृषि भूमि कथित पारिवारिक समझौता के कथित प्रकाश में प्रार्थी के संयुक्त अधिकार व आधिपत्य में है वरन् प्रार्थी महज बतौर वारिस 1/5वां हिस्सा विरास्तन इतकाल के तहत ही प्राप्त करने का अधिकारी है एवं वर्तमान में प्रार्थी का अपने परिवार सहित बचन सिंह के परिवार से अलग रहने के कारण वर्णित कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का पिता के जीवनकाल से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी विरास्तन इतकाल स्वीकृत करवाकर एवं अपने नाम से बतौर सहकाशतकार 1/5वां हिस्सा दर्ज करवाकर बाद विधिवत विभाजन अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का करवाकर ही अपने हिस्सा में आयी 1/5 वें हिस्से की भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी मात्र है। प्रार्थी को उसके कथित हक व अधिकारों से वंचित नहीं किया जा रहा है वरन् प्रार्थी के द्वारा वेग तथ्यों पर विधि विरुद्ध अपना 1/2 हिस्सा होना कथन करते हुए वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि नाकाबिल चलने के है। चूंकि प्रार्थी का बतौर वारिस विरास्तन 1/5वां हिस्सा सुरक्षित है इसलिये प्रार्थी को कोई क्षति होने की संभावना तक नहीं है एवं ना ही सहकाशतकारान के खिलाफ प्रार्थी धारा 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा ही प्राप्त करने का अधिकारी है। यहां यह भी अंकित करना आवश्यक होगा कि अभी विरास्तन जीत इतकाल स्वीकृत नहीं हुआ है एवं कथित मौखिक समझौता के आधार पर, जो कि स्वीकार नहीं है, अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 की भूमि प्रार्थी के नाम से अन्तरित हो सकती है एवं विरास्तन इतकाल में प्रार्थी का 1/5वां हिस्सा सुरक्षित है तो प्रार्थी को कोई अपूर्णाय क्षति होना प्रमाणित नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण मूल वाद के निर्णय तक पारित करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार हैं यदि खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं तो अप्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा और अपूर्णाय क्षति होगी। अप्रार्थीगण भूमि के संयुक्त खातेदार काबिज काशत हैं, प्रार्थी का भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा न ही वर्तमान में काबिज हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में हैं प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।


बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड्ड जमाबंदी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि चक 28 ए पी डी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं. 1 पत्थर सं. 319/404 का किला नं. 10/1 का 0.114, 11 का 0.253, 12 /2 का 0.202, 13/2 का 0.038, 17/1 का 0.114, 18/2 का 0.240, 19 ता 24 प्रत्येक का 0.253, 25/2 का 0.190 हैक्टर कुल 2.669 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी रकबा के 1/5 हिस्सा कृषि भूमि संयुक्तरूप में से प्रार्थी के पिता बचनसिंह पुत्र भगवानसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के पिता बचनसिंह का 1/5 हिस्सा दर्ज है। अतः प्रार्थी लखवीर सिंह को उनके पिता के हिस्से में आने वाली 1/5 हिस्सा में से सभी वारिसों का बराबर हिस्सा अनुसार 1/5 हिस्सा भूमि का एवं वाके चक 21 एम डी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं. 50 पत्थर सं. 23/02 का किला नम्बर 5/1 का 0.228 कमाण्ड, 5/2 का 0.025 खाला, 6, 15, 16 प्रत्येक 0.253 कमाण्ड, 25 का 0.190 कमाण्ड कुल 1.202 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि के किसी भी भू भाग को बिना प्रार्थी के अधिकारों की घोषणा करवाये किसी भी तरीके से अन्यत्र हस्तान्तरण करने से निषिद्ध रहे तथा प्रार्थी के कब्जा काशत में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा करने व करवाने से व्यादेशित रहे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी का हिस्सा निहित हैं या नहीं का निश्चय मूल वाद में साक्ष्यों के आधार पर वाद बिन्दू कायम कर गुणावगुण पर किया जाना हैं। विवादित भूमि अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज हैं यदि भूमि का अन्य को हस्तान्तरण कर दिया जाता हैं तो मुकदमेबाजी बढ़ने की संभावना हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय यह उचित समझता हैं कि मूल वाद के निर्णय तक विवादित भूमि चक 28 ए पी डी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं. 1 पत्थर सं. 319/404 का किला नं. 10/1 का 0.114, 11 का 0.253, 12 /2 का 0.202, 13/2 का 0.038, 17/1 का 0.114, 18/2 का 0.240, 19 ता 24 प्रत्येक का 0.253, 25/2 का 0.190 हैक्टर कुल 2.669 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी के 1/5 हिस्सा व वाके चक 21 एम डी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं. 50 पत्थर सं. 23/02 का किला नम्बर 5/1 का 0.228 कमाण्ड, 5/2 का 0.025 खाला, 6, 15, 16 प्रत्येक 0.253 कमाण्ड, 25 का 0.190 कमाण्ड कुल 1.202 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि की राजस्व रिकार्ड्ड की यथास्थिति यथावत बनाई रखी जावे। उक्त विवादित भूमि में प्रार्थी के 1/5 हिस्से के अतिरिक्त शेष भूमि को स्थगन से मुक्त समझा जावे।

(अर्जित कुमार गोदारा)
उपपुण्ड अधिकारी
अनूपगढ

— :: आदेश ::—

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत 212 राज0 काश्त0 अधि0 स्वीकार किया जाता हैं तथा न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.11.2021 को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़